

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26760/2026**

राजू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: मनोज कुमार

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65**माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री मनोज कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री कुँवर तेजेन्द्र बहादुर को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 148/2026, अंतर्गत धारा 190, 191(2), 352, 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना-बेलघाट, जनपद-गोरखपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की माँग हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, तथापि, आवेदक को पाँच अन्य व्यक्तियों, जिनमें सह-अभियुक्त विवेक भी शामिल है, के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।
4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, तथापि, जब प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान दर्ज किए गए तब उनके अनुसार मृतक के सिर में चोट पहुँचाने वाला व्यक्ति सह-अभियुक्त विवेक था तथा मृतक के सिर पर केवल एक चोट आई थी।
5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, मामले के समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद भी सह-अभियुक्त संजय को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25685/2026 में दिनांक 27.07.2026 को पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला भी उसके समान है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में वह 14.06.2026 से जेल में है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. तथापि, आरोप के अनुसार, आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों ने लकड़ी की लाठी तथा लोहे की रॉड से हमला किया, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई किंतु यह परिलक्षित होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सामान्य भूमिका आरोपित की गई है।
10. इसके अतिरिक्त, यह परिलक्षित होता है, विवेचना के दौरान जब प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान दर्ज किए गए तब उन्होंने सिर में चोट पहुँचाने की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त विवेक को सौंपी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को सिर पर एक चोट लगी थी और उसकी मृत्यु इसी चोट के कारण हुई।
11. इसके अतिरिक्त, यह भी परिलक्षित होता है, सह-अभियुक्त संजय को इस न्यायालय द्वारा अत्यंत विस्तृत आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया गया है तथा आवेदक का मामला उसके समान है।
12. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में वह 14.06.2026 से जेल में है।
13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।
14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
15. उपर्युक्त मामले में आवेदक राजू को एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाए:—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 03, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)